बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 150/आर्थ   पटना, दिनांक 25.03.2019

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 19/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख–रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.27.01–लघु कार्य मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित ईकाई की स्थापना हेतु राशि रू0 2200.00 लाख (बाईस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में विषय शीर्ष–0163.27.01 लघु कार्य मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 **2200.00 लाख (बाईस करोड़ रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.27.01– लघु कार्य मद से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 के स्वीकृत्यादेश सं0 269 दिनांक 25.03.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। यह राशि विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1532 दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध से विकलित होगा।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 30 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

कृ0 पृ0 उ0

(छ) मुख्य बजट शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख–रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.27.01– लघु कार्य मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिये एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित ईकाई की स्थापना हेतु राशि रू0 2200.00 लाख (बाईस करोड़ रूपये) मात्र के आवंटन के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप व्यय किया जाए।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 150 / उ0 पटना, दिनांक 25.03.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 150 / उ0 पटना, दिनांक 25-03-19

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/ निदेशक,तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना/प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना /प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।